


## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 124/2017

उनवानी :- रामभरोसी बनाम चौथी व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
06.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। बार – बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी सायल एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुकदमा नं. 124/2017 उनवानी रामभरोसी बनाम चौथी व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।</p> <p style="text-align: center;">आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>            हिण्डौन सिटी ( करौली )         </div>